परिशिष्ट 'पांच'

मध्यप्रदेश शासन

विमानन विभाग

मंत्रालय, भोपाल

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 1 जनवरी, 2000

क्रमांक एफ 9-22-98-पैंतालीस.—राज्य शासन, विशिष्ट महानुभावों की उड़ानें हेतु हेलीकॉप्टर/विमान किराये पर लेने संबंधी निम्नानुसार नियम बनाता है :—

1. नाम एवं उद्देश्य :

ये नियम मध्यप्रदेश शासन द्वारा हेलीकॉप्टर/विमान किराये पर लेने संबंधी नियम, 1999 कहलायेंगे. इन नियमों का उद्देश्य राज्य शासन की आवश्यकता के परिप्रेक्ष्य में हेलीकॉप्टर/विमान के किराये पर लेने की कार्यवाही विनियमित करना है.

2. किराये पर लेने की परिस्थितियां :

मध्यप्रदेश शासन सामान्य रूप से निम्नलिखित परिस्थितियों को छोड़कर कोई हेलीकॉप्टर अथवा विमान किराये पर नहीं लेगा :—

1. जब मध्यप्रदेश शासन के अपने विमान अथवा हेलीकॉप्टर उड़ान योग्य स्थिति में नहीं हों.
2. जब दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे/उबड़-खाबड़ क्षेत्रों में शासकीय विमान/हेलीकॉप्टर ले जाया जाना उपयुक्त न हो.
3. जब मध्यप्रदेश शासन का विमान अथवा हेलीकॉप्टर आगामी 6 घंटे के पूर्व, राज्य शासन को उपलब्ध न हो सकता हो अथवा वो अन्यथा किसी उड़ान में संलग्न है.
4. जब शासकीय विमान/हेलीकॉप्टर में उड़ान भरने के लिये सक्षम व्यक्ति जो मध्यप्रदेश शासन के विमान उपयोग तथा नियंत्रण संबंधी नियमों के अन्तर्गत प्राधिकृत है, की प्रशासकीय आवश्यकता, प्राकृतिक आपदा अथवा अन्य किसी आकस्मिकता के परिप्रेक्ष्य में ऐसा किया जाना अपरिहार्य हो.

3. किराये पर लेने की प्रक्रिया :

1. विमान अथवा हेलीकॉप्टर किराये पर प्राप्त करने के लिये संचालक विमानन द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिये अखिल भारतीय स्तर पर निविदा आमंत्रित कर प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्राप्त की जायेंगी. प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य प्राप्त करने के लिये जारी की जाने वाली विज्ञप्ति में राज्य शासन की संभावित आवश्यकता, उपलब्ध कराई जा सकने वाली सुविधायें एवं राज्य शासन की आवश्यकताओं का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जायेगा.
2. संचालक विमानन द्वारा प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य प्राप्त करने के उपरांत प्रस्तावों का परीक्षण एक समिति द्वारा किया जायेगा, जिसमें निम्न सदस्य होंगे :—

1.	संचालक विमानन	अध्यक्ष
2.	सीनियर पायलट विमान/हेलीकॉप्टर	सदस्य
3.	विमानन संचालनालय के प्रशासकीय अधिकारी/लेखाधिकारी	सदस्य

3. शासन प्राप्त होने वाले प्रस्तावों में यदि आवश्यक समझेगा तो प्रस्तावक से शर्तों/दर इत्यादि के बारे में चर्चा कर संशोधन कर सकेगा.

4. संचालक, विमानन, समिति के कार्यवाही विवरण के साथ अपना प्रस्ताव राज्य शासन के अनुमोदनार्थ आवश्यक विवरण के साथ भेजेंगे. ऐसे विवरण में कम से कम दो प्रस्तावकों की जानकारी को, प्राथमिकताक्रम में दिया जायेगा, जिनसे राज्य शासन, आवश्यकता पड़ने पर विमान/हेलीकॉप्टर को किराये पर ले सकेगा. समिति की अनुशंसा प्राप्त होने पर राज्य शासन हेलीकॉप्टर एवं विमान को किराये पर लिये जाने के संचालक के प्रस्ताव का अनुमोदन करेगा तथा उस आगामी वर्ष में कभी भी राज्य शासन अपनी आवश्यकता के परिप्रेक्ष्य में विमान अथवा हेलीकॉप्टर उन शर्तों पर लेने के लिये संचालक को अधिकृत कर सकेगा, जो ऐसे आदेश में स्पष्ट रूप से लेखबद्ध की जायेगी.

5. संचालक राज्य शासन द्वारा अनुमोदित सूची में प्रथमतः उस प्रस्तावक से विमान अथवा हेलीकॉप्टर किराये पर लेगा जो राज्य शासन के सर्वाधिक अनुकूल है. यदि उक्त प्रस्तावक से विमान/हेलीकॉप्टर उपलब्ध हो पाना संभव नहीं है तो संचालक दूसरे प्रस्तावक से हेलीकॉप्टर अथवा विमान किराये पर ले सकेगा. यदि उक्त दोनों प्रस्तावकों से आवश्यकता पड़ने पर विमान/हेलीकॉप्टर किराये पर उपलब्ध नहीं होता है तो इन्हीं निर्धारित शर्तों एवं दरों पर राज्य शासन अन्य संस्था से विमान/हेलीकॉप्टर किराये पर लेने के लिये संचालक को निर्देश दे सकेगा.

6. विमान अथवा हेलीकॉप्टर बिना विभागीय मंत्री की पूर्वानुमति के किराये पर नहीं लिया जायेगा. यदि किसी कारण से पूर्वानुमति लिया जाना संभव न हो तो समिति ऐसे कारणों का स्पष्ट उल्लेख करते हुये पूर्वानुमति देने के लिये सक्षम होंगे और इस पर कार्योत्तर अनुमोदन विभागीय मंत्री से प्राप्त किया जायेगा.

7. निजी विमान/हेलीकॉप्टर मान. मुख्यमंत्री जी/मंत्रीगण के अलावा अन्य किसी महानुभाव की आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में संचालक के माध्यम से किरायें पर लिया जाता है तो ऐसी उड़ान पर हुये व्यय का भुगतान संबंधित महानुभाव के सचिवालय/विभाग द्वारा किया जावेगा.

4. अभिलेख संधारण :

1. संचालक विमानन द्वारा विमान अथवा हेलीकॉप्टर को किराये पर लेने के लिये अलग-अलग पंजियाँ संधारित की जायेंगी, जिनमें हेलीकॉप्टर/विमान किराये पर लेने का दिनांक, उड़ान घंटे, यात्रा का स्थान, यात्रा का उद्देश्य, यात्रा करने वाले यात्रियों का नाम/पदनाम, देयक की राशि, भुगतान की गई राशि इत्यादि विवरण होंगे.

2. संचालक विमानन, राज्य शासन, महानिदेशक नागरिक विमानन, भारत शासन एवं अन्य सक्षम प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित पंजियाँ एवं अन्य लेख रखने के लिये सक्षम एवं उत्तरदायी होंगे.

3. इस विषय में संधारित पंजियों का समय-समय पर निरीक्षण राज्य शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा किया जायेगा.

5. भुगतान :

रुपये 2.00 लाख तक के किराया देयकों की स्वीकृति एवं भुगतान संचालक विमानन द्वारा किया जायेगा तथा रुपये 2.00 लाख से अधिक के भुगतान राज्य शासन के अनुमोदन के उपरांत संचालक द्वारा किया जायेगा.

निर्वचन : यदि उपरोक्त नियम के अनुपालन में कोई कठिनाई है तो राज्य शासन का निर्णय अंतिम होगा.

ये नियम 1 जनवरी, 2000 से प्रभावशील होंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हस्ता./-
(आर. एन. बैरवा)
सचिव, म.प्र. शासन,
विमानन विभाग.

से वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 33] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 12 अगस्त 2016—श्रावण 21, शक 1938

भाग ४

विषय-सूची

(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक,
(2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,
(3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक.
(ख) (1) अध्यादेश;
(2) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(3) संसद् के अधिनियम.
(ग) (1) प्रारूप नियम,
(2) अन्तिम नियम.

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अंतिम नियम

विमानन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 अगस्त 2016

क्र. एफ 9-26-98-पैंतालीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, हेलीकाप्टर/विमान किराये पर लेने संबंधी नियम, 1999 में निम्नलिखित और संशोधन

करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

1. उक्त नियमों में, नियम 2 में वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्न प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाए, अर्थात्:—

"2. राज्य शासन अपनी आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में ऐसी अवधि, जैसी वह उचित समझे, के लिये विमान/हेलीकाप्टर किराये पर ले सकेगा. ऐसे किराए पर विमान/हेलीकाप्टर लेने के लिये आवश्यक प्रशासनिक कार्यवाइयां करने के लिये, राज्य शासन, संचालक, विमानन को अधिकृत कर सकेगा.

No. F.-9-26-98-XLV.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendment in the Hiring of Helicopter/Aeroplane Rules, 1999, namely:—

AMENDMENT

1. In the said rules, rule (2), for existing entries, the following entries shall be substituted, namely:—

"2. The State Government may keeping in view its needs and the circumstance thereof hire helicopter/ aeroplane for such period of time, as it deems appropriate. The State Government shall authorise Director, Aviation to take necessary administrative action for this purpose.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरविंद दुबे, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.

विमानन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपा..

भोपाल, दिनांक 12 मई 2017

क्रमांक एफ 9–22/1998/पैंतालीस, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, अधिसूचना समसंख्यक 01 जनवरी, 2000 को जारी "मध्यप्रदेश शासन द्वारा विमान/हेलीकाप्टर किराये पर लेने संबंधी नियम, 1999 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:–

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 6 में वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्न प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाए, अर्थात् :–

"6. मान. राज्यपाल, मान. मुख्यमंत्री, मान. केन्द्रीय मंत्री के लिये तात्कालिक परिस्थितियों में विमान/हेलीकाप्टर किराये पर लेने के लिये आयुक्त, विमानन संचालनालय सक्षम होंगें। उक्त अतिविशिष्ट व्यक्तियों के अलावा विमान/हेलीकाप्टर किराये पर लेने के लिये, बिना विभागीय मंत्री की पूर्वानुमति के किराये पर नहीं लिया जायेगा, यदि किसी कारण से पूर्वानुमति लिया जाना संभव न हो तो, ऐसे कारणों का स्पष्ट उल्लेख करते हुये विभागीय मंत्री से कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त किया जावेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नंद कुमारम, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित–2017.